


197

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
स्वपदाधीन रीता (मनुष्य)

१५-३०१

R 5210-II/17



1. कौशल प्रसाद साकेत तनय हीरालाल साकेत उम्र 34 वर्ष पेशा मजदूरी साकिम सेमरी तह0 सेमरिया जिला-रीवा म0प्र0
2. सीताराम साकेत तनय स्व0 सरदाई साकेत पेशा मजदूरी साकिम सेमरी तह0 सेमरिया जिला-रीवा म0प्र0

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामलाल कुशवाहा जाति काछी पेशा निजी व्यवहार
 2. इन्द्र कुमार कुशवाहा जाति काछी पेशा कृषि कार्य
 3. कृष्ण कुमार कुशवाहा जाति काछी पेशा कृषि कार्य
 4. इन्द्रजीत कुशवाहा जाति काछी पेशा कृषि कार्य
- सभी के पिता जमुना प्रसाद कुशवाहा साकिम सेमरी तह0 सेमरिया जिला-रीवा म0प्र0
5. रामसजीवन कुशवाहा पिता सेवकराम कुशवाहा साकिम सेमरी तह0 सेमरिया जिला-रीवा म0प्र0

..... गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी- विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी तह0 सेमरिया के राजस्व प्र0 क्र0 22 अ 70/2014-15 आदेश दिनांक 17.4.2017
निगरानी- अन्तर्गत धारा 50, 32 म0 प्र0 मू0 रा0 संहिता 1959

महोदय,

निगरानी निम्न आधार बिन्दु अन्तर्गत प्रस्तुत है-


1. यह कि मौजा सेमरी पटवारी हलका भमरा स्थित आराजी नं0 21/6 रकवा 0.061 हे0 एवं 21/7 रकवा 0.061 हे0 निगरानीकर्तागण के स्वयं एवं पिता के काबिज दखल में थी साथ ही भूमिहीन कृषक होने के स्थित में न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त तहसीलदार महोदय तह0 सेमरिया के राजस्व प्र0 क्रं0 35 अ 19 /85-86 में पारित आदेश दिनांक 22.8.86 द्वारा निगरानीकर्ता क्रं. 1 के पिता के नाम आबादी व्यवस्थापन की स्वीकृति दी गई थी जिसके आधार पर निगरानीकर्ता क्रं0 1 का पिता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5210-II/17

जिला-रीवा

कौशल प्रसाद साकेत / रामलाल कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
25.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>